कार्यालय महानिदेशक,चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,जवाहर भवन,6वॉ तल,उ0प्र0, लखनऊ

लखनऊ:दिनांक 04 मई ,2020

यू0पी0 नीट पी0जी0–2020 के अन्तर्गत प्रथम चक्र की ऑन लाईन काउन्सिलिंग से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रकिया के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश।

- यू0पी0 नीट पी0जी0 2020 के अन्तर्गत आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों की ऑन–लाईन प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 04 मई 2020 से दिनांक 9 मई 2020 के मध्य सम्पन्न की जायेगी।

- प्रथम चक्र की ऑन–लाइन काउन्सिलिंग मे अभ्यर्थियों द्वारा जिस प्रकार पंजीकरण शुल्क एवं सिक्योरिटी धनराशि जमा की गयी है, उसी प्रकार एन0आई0सी0 की लॉगिन आई0डी0 ***https://upneet.gov.in*** पर रोल नम्बर एवं ई–मेल से लॉगिन कर शिक्षण शुल्क जमा कर आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकते है।

- आवंटन पत्र डाउनलोड करने के उपरान्त संबंधित नोडल सेन्टर को ऑफ–लाईन/ऑन–लाईन रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा में आपका आवंटन/प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

- आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी यदि आवंटन पत्र डाउनलोड नहीं करता है तो भी उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

- प्रथम चक्र की कांउसिलिंग से आवंटित अभ्यर्थी आवंटित मेडिकल/डेण्टल कालेज में यदि प्रवेश नही लेता है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी को द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग मे प्रतिभाग करने हेतु पुनः सिक्योरिटी धनराशि जमा करनी होगी।

- राजकीय क्षेत्र की मेडिकल/डेण्टल सीटों हेतु आवंटित अभ्यर्थी रू0 30,000/–(रूपया तीस हजार) एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज की क्लीनिकल सीटों पर आवंटित अभ्यर्थी रू0 10,00,000 (रूपया दस लाख) एवं प्री एवं पैरा–क्लीनिकल की सीटो हेतु रू0 5,00,000/– (पांच लाख) तथा निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेज हेतु रू0 2,00,000/–(दो लाख) ऑन–लाईन जमा किये जाने के उपरान्त ही आवंटन पत्र (एलॉटमेन्ट लेटर) डाउनलोड हो सकेगा।

- अभ्यर्थियों द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पक्ष में आन–लाईन जमा की गयी शिक्षण शुल्क की धनराशि अद्यतन (Update) होने के उपरांत ही आवंटन पत्र डाउनलोड हो सकेगा।

- आवंटन–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी को ऑन–लाइन प्रवेश हेतु आवंटित कालेज/नोडल सेन्टर की ई–मेल पर आवंटन पत्र, शिक्षण शुल्क की रसीद, एम0सी0आई0/डी0सी0आई0 मे पंजीकरण का प्रमाण–पत्र, एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 की डिग्री, आरक्षण से संबंधित प्रमाण–पत्र एवं आई0डी0 की स्कैन कापी भेजकर प्रवेश–प्रक्रिया सम्पन्न करेंगे।

- राजकीय क्षेत्र की मेडिकल/डेण्टल कालेजो की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थी शिक्षण शुल्क की शेष धनराशि एवं अपने मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से पूर्व संबंधित कालेज में जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।

- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजो में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) की शेष धनराशि (ऑन–लाईन जमा की गयी शिक्षण शुल्क की धनराशि को घटाते हुये) का सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट, जो **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ** (Director General Medical Education & Training, UP Payable at Lucknow) के पक्ष में देय हो प्रवेश हेतु नामित संबंधित नोडल सेन्टर पर मूल शैक्षणिक अभिलेखों के सहित जमा किया जाना अनिवार्य है। शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क संबंधी शासनादेश तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं के फी–स्ट्रक्चर विभागीय वेबसाईट ***www.updgme.in*** पर उपलब्ध है।

- ऐसे अभ्यर्थी जो ऑल इण्डिया कोटे के माध्यम से पूर्व से प्रदेश की राजकीय सीटों पर प्रवेशित है तत्पश्चात् स्टेट कोटे की सीटों पर आवंटन प्राप्त होने की दशा में आल इण्डिया के माध्यम से प्रवेशित मेडिकल/डेण्टल कालेज द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर स्टेट कोटा की सीट पर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से पूर्व समस्त अभिलेख मूल रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी सीट को रिक्त मानते हुये द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में सम्मलित कर लिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।

- पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के आवंटित अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति/कार्यमुक्त प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

- उत्तर प्रदेश के अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय अन्य पिछडा वर्ग (OBC Certificate) का जाति प्रमाण पत्र दिनांक 01 जनवरी 2020 अथवा इसके पश्चात् का बना हो प्रस्तुत करना होगा । यदि प्रवेश के समय उक्त तिथि के पूर्व का जाति प्रमाण पत्र है तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी को इस शर्त के साथ प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी कि द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से पूर्व दिनांक 01 जनवरी 2020 के पश्चात् का प्रमाण पत्र प्रत्येक दशा में दिया जाना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।

- ऑन–लाईन काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों का प्रवेश अनन्तिम (Provisional) होगा।

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी एम0बी0बी0एस0 परीक्षा उत्तीर्ण कर 31 मार्च, 2020 तक अपनी इन्टर्नशिप पूर्ण कर चुके है किन्तु लॉक–डाउन होने की स्थिति में एम0सी0आई0/डी0सी0आई0 में अपना स्थायी पंजीकरण नहीं करा पाए है तो ऐसे अभ्यर्थियों को इन्टर्नशिप कम्पलीशन सर्टिफिकेट के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर सकते है। इन अभ्यर्थियों को द्वितीय काउसिलिंग की समय–सारणी जारी होने के पूर्व अपना एम0सी0आई0/डी0सी0आई से निर्गत पंजीरण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं का होगा।

- आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रवेश के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज/नोडल सेन्टर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराना अनिवार्य होगा। मेडिकल बोर्ड द्वारा अनफिट घोषित किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा चिन्हित सेन्टरों से दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त किये है, वही अभ्यर्थी प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

अन्य महत्वपूर्ण/अद्यतन सूचनायें हेतु विभागीय वेबसाईट ***https://upneet.gov.in &*** ***www.updgme.in*** का निरन्तर रूप से अवलोकन करते रहे।

महानिदेशक